

न्यायालय- ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्र.क.क.- 82/2014)

(संस्थित दिनांक-07.02.14)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र-

मालनपुर जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

1. नरेशसिंह उर्फ भटा पुत्र रामसिंह उम्र 28 साल
निवासी सिंघवारी थाना मालनपुर
2. सत्यप्रकाश उर्फ कल्लू पुत्र विजयसिंह भदौरिया उम्र 29 साल
निवासी पहाडिया थाना मालनपुर

..... अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 26.11.2016 को घोषित)

अभियुक्तगण पर भा.द.सं. की धारा 379 सहपठित धारा 511 के अन्तर्गत आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 31.12.13 की दरम्यानी रात एस0आर0 फैक्ट्री के सामने फरियादी के कमरा मालनपुर पर अपने आधिपत्य के कमरे में जो कि उसके आधिपत्य में था में चोरी करने के आशय से उसके कमरे में प्रवेश करने का प्रयास किया।

02. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी विनोद शर्मा दिनांक 31.12.13 को अपने कमरे में रात करीब 10:30 बजे सो गया। आहट मिलने पर उसकी नींद रात्रि में खुली तो उसने देखा कि कमरे के किवाड खुले थे, लाईट जल रही थी। सामान उठाने के लिए अभियुक्तगण कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। फरियादी को आया देखकर भाग गए। अभियुक्तगण चोरी की नियत से आए थे। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0- 1/14 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नकशामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, उन्हें गिर0 किया गया, तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

03. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण ने दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

04. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

1- क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 31.12.13 की दरम्यानी रात एस0आर0 फैक्ट्री के सामने फरियादी के कमरा मालनपुर पर अपने आधिपत्य के कमरे में जो कि उसके आधिपत्य में था, में चोरी करने के आशय से उसके कमरे में प्रवेश करने का प्रयास किया ?

सकारण निष्कर्ष

05. अभियोजन की ओर से प्रकरण में विद्यानंद सरस्वती अ.सा.01, प्र0आर0 रामवरन शर्मा अ0सा0 2, गजेन्द्रसिंह अ0सा0 3, विनोद शर्मा अ0सा0 4 को परीक्षित कराया गया, जबकि अभियुक्तगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

06. फरियादी विनोद शर्मा अ0सा0 4 यह कथन करते हैं कि घटना साक्ष्य से करीब 3-4 साल पहले रात करीब डेढ़ बजे की है। जब उनकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे के किवाड खुले थे, लाईट जल रही थी। दो व्यक्ति उसके दरवाजे पर खड़े थे जो उसे देखकर भाग गए। साक्षी यह कथन करते हैं कि उसने अपना सामान देखा तो सही रखा था। घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 2 बताकर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करता है तथा घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0 3 बनाए जाने का कथन करते हैं और उस पर भी बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से फरियादी अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण के संबंध में कोई कथन नहीं करता। साक्षी पक्षद्रोही घोषितकर उससे सूचक प्रश्न पूछे जाने पर रिपोर्ट प्र0पी0 2 में सी से सी भाग पर अभियुक्तगण के दरवाजे पर खड़े होने के तथ्य लिखाए जाने से इंकार करते हैं। साक्षी सूचक प्रश्नों में उसके कमरे के गेट पर अभियुक्त गण के खड़े होने का सुझाव दिए जाने पर उक्त तथ्य के सुझाव से इंकार करते हैं। इस प्रकार से स्वयं फरियादी घटना का समर्थन नहीं करता है और संपूर्ण घटना को संदिग्ध कर देता है।

07. प्रकरण में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन की ओर से विद्यानंद सरस्वती शर्मा अ0सा0 1 को परीक्षित कराया गया है जो दिनांक 31.12.13 को रात में अभियुक्तगण के फरियादी के घर से चोरी करने की नियत से भागने के संबंध में सुझाव से इंकार करते हैं। प्राथमिकी लेखक गजेन्द्रसिंह अ0सा0 3 यह कथन करते हैं कि उन्होंने फरियादी विनोद शर्मा के द्वारा चोरी के संबंध में रिपोर्ट किए जाने से अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेख की थी। उक्त रिपोर्ट प्र0पी0 2 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। प्र0पी0 2 की प्राथमिकी के तथ्यों से फरियादी द्वारा स्पष्टतः इंकार किया है। प्राथमिकी स्वयं सारवान साक्ष्य नहीं हैं उसका उपयोग संपुष्टि व खण्डन के लिए किया जा सकता है।

न्यायदृष्टान्त- रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त- ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज-1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ्तर के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

08. प्रकरण में फरियादी विनोद शर्मा अ०सा० 4 व साक्षी विद्यानंद सरस्वती अ०सा० 1 दोनों के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में उनके पुलिस कथनों क्रमशः प्र०पी० 1 व 4 के विनिर्दिष्ट भागों की ओर ध्यान आकर्षित कराए जाने पर वैसे कथन पुलिस को दिए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार से फरियादी व साक्षी दोनों द्वारा घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उनके कथनों में सारवान विरोधाभास होना दर्शित है। इस प्रकार से अपुष्ट तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिरोपित आरोप के संबंध में कोई भी सारवान साक्ष्य अभिलेख पर नहीं पाई जाती है। प्रकरण में विवेचक रामवरन शर्मा अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में परस्पर विरोधाभासी कथन करते रहे हैं। ऐसे में मात्र अनुसंधानकर्ता की अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 379 सहपठित धारा 511 का आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

09. अतः उपरोक्त विवेचन के अधीन अभियुक्तगण को संहिता की धारा 379 सहपठित धारा 511 के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

10. अभियुक्तगण की जमानत भारहीन की जाती है, उनके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावशील रहेंगे।

11. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

12. अभियुक्तगण की निरोधावधि यदि हो तो प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश